

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-18/2016

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी ब्रांच, बोकारो

बनाम

मेसर्स आर०के० इंटरप्राइजेज

-: आदेश :-

13.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स आर०के० इंटरप्राइजेज प्र० श्री राम कुमार साहू, पिता-श्री ज्योतिलाल साहू सा०-जोधाडीह मोड़, चन्दनकियारी रोड, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (थाना सं०-52, थाना-चास जिला बोकारो के अंतर्गत खाता सं०-13 के प्लॉट सं०-373 sub plot no. A रकवा 5.312 डी०, डीड सं०-3727 दिनांक-11.10.1999) को गिरवी रखते हुए 46,00,000.00 (छियालिस लाख) रुपये मात्र का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.03.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि वर्ष 2015 तक विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि का भुगतान नियमित रूप से किया गया है। उसके पश्चात विपक्षी अचानक किडनी रोग से ग्रसित हो जाने के कारण ऋण

की राशि वापस करने में असमर्थ हो गए है। अभी भी वह इलाजगत है। जिसके कारण उनका व्यापार भी घाटे में चल रहा है। इस कारण वह ऋण की राशि वापस नहीं कर पा रहे है। अंत में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बैंक से OTS के माध्यम से ऋण की राशि को भुगतान के लिए समय देने का आग्रह किया गया।

दोनों पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

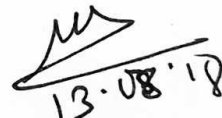
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।